न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2019, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।
: अधिवक्ता गैर सायल श्री आनन्द शर्मा उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–27.09.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है तथा अदालत से सजा/जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	117/19	13.03.2019	13 RPGO	61/19	18.03.2019	सजा/जुर्माना दिनांक 08.04.2019
2.	189/21	15.04.2019	13 RPGO	102/19	17.04.2019	सजा/जुर्माना दिनांक 23.04.2019

उक्त शख्स मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा जुआं, सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। जिससे इलाके में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा उपस्थित आये। गैर सायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की पुलिस थाना क्षेत्र महवा जिला दौसा में निवास करने वाला गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा क्षेत्र का आदतन जुआ, सट्टा खेलने का आदि है तथा जुआं, सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। जिससे अन्य व्यक्तियों में भी जुए, सट्टे की आदत लगाकर उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तथा समाज का माहौल खराब कर रहा है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार दिये जाने के बावजूद भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वह अपनी हरकतों एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है। उक्त शख्स को आदतन अपराधी मानते हुये गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा को जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता गैर सायल ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी एक साधारण मजदूर है जो महवा पुलिस थाना महवा क्षेत्र में निवास कर रहा है। अप्रार्थी कोई गुण्डा नही है। अप्रार्थी के विरूद्ध कोई संगीन प्रकरण आज दिन तक दर्ज नहीं हुआ है। अप्रार्थी के विरूद्ध महवा थाने में 13 आरपीजीओ के तहत दो मुकदमे दर्ज हुये थे। जो कि पुलिस ने एक ही माह में दर्ज कराये थे। उसके अतिरिक्त अप्रार्थी के विरूद्ध उसके पूर्व व उसके बाद आज दिन तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। ना ही अप्रार्थी की कॉलोनी के आस–पास किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रकरण दर्ज नहीं करवाया है। महवा पुलिस केवल काल्पनिक आधार पर प्रार्थी को गुण्डा घोषित करवाना चाहती है। अप्रार्थी एक गरीब मजदूर व्यक्ति है एवं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को खारिज फरमाने की कृपा करे।

बहस लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत इस्तागासा अनुसार गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा आदतन जुंआ सट्टा खेलने में सक्रिय रूप से लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं समाज के नवयुवक वर्ग को जुएं सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल मुरारी पुत्र श्री श्यामलाल महावर जाति कोली निवासी मोटूका रोड महवा पुलिस थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 28.09.2023 से 20(बीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा